

भारत निर्वाचन आयोग

महाराजा फोटो पहचान पत्र और फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने के लिए फोटोग्राफ (वैकल्पिक) जमा करने के लिए फार्म

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम:	भाग संख्या	अनुभाग की संख्या व नाम					
**अंतिम प्रकाशित महाराजा सूची, 200..... के अनुसार महाराजा का विवरण							
क्रो	मकान नं०	पता	सम्बन्ध	सम्बन्धी का नाम	शिक्षा	आयु	महाराजा फोटो पहचान पत्र की संख्या

महाराजा द्वारा शेष में अपने नाम तथा सम्बन्धी के नाम की वर्तनी एवं फोटो पहचान संख्या में छोट मोट संशोधन को स्पष्ट रूप से इंगित कर दें। ऐसे मामलों में जिसमें पहले से मुद्रित पुर संख्या और पता सही है लेकिन अपर्याप्त है तो पूरा डाक पता नीचे लिखना चाहिए:-

मकान/पुर संख्या:	गाँव/क्षेत्र/परिवेश/मोहल्ला/सड़क:
नाम/ग्राम:	डाकघर:
तारसंकेत/तालुक/मण्डल/ग्राम:	जिला:
पिन कोड:	

ऐसे मामलों में जिसमें कोई विशिष्ट विशेष महत्व मुद्रित हो तो उस अशुद्धि को महाराजा सूची में संशोधित करने के लिए आवेदन पत्र भरना चाहिए। यदि आपका नाम या सम्बन्धी का नाम या आयु या शिक्षा महत्व मुद्रित है, तो फार्म-8 भरना चाहिए। उस दशा में जब आपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अर्जापत्र ही अपना निवास स्थान परिवर्तित किया हो तो इस फार्म के साथ फार्म-8क भरना चाहिए।

एक पासपोर्ट आकार (3.5 सेमी X 3.5 सेमी) की रंगीन फोटो यहाँ चिपकाएं (इस फोटो पर अपने हस्ताक्षर न करें)

ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दिये गये स्थान पर चिपकाएँ। एक फोटो पर इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि हस्ताक्षर का कुछ हिस्सा फोटो पर तथा कुछ फार्म पर आये और दूसरी फोटो अस्तित्वरहित रहेगी-जो फोटोयुक्त महाराजा सूची एवं महाराजा पहचान पत्र तैयार करने के लिए अपने स्वयं व्यय पर है। एक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज की सत्यापित छायाप्रति भी संलग्न की जाय।

एक पासपोर्ट आकार (3.5 सेमी X 3.5 सेमी) की रंगीन फोटो यहाँ चिपकाएं (इस फोटो पर इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि हस्ताक्षर का कुछ हिस्सा फोटो पर तथा कुछ फार्म पर आये)

पंजी नमूना शिथि शि० शि० शि० शि० शि०

स्वामि:
दिनांक:
आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: कृपया नीचे दिए गए फोटोयुक्त दस्तावेजों में से किसी एक की प्रमाणात छायाप्रति फोटोग्राफ और जन्मतिथि के सत्यापन हेतु संलग्न करें। ऐसे मामलों में जिसमें दस्तावेज को न्य-प्रमाणात भिन्न गणना हो तो, फार्म जमा करते समय व्यक्तित्व द्वारा मूल दस्तावेज दिखाया जाना।

- फोटोग्राफ के सत्यापन के लिए- पासपोर्ट, राइडिंग लाइसेंस, डैकहॉड, सर्विस पहचान पत्र जो कि राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के अटकम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया हो, सम्पत्ति के पंजीकृत दस्तावेज, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/पोस्टऑफिस द्वारा फोटोग्राफ के साथ जारी की गयी पासबुक, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र, AIO/जो/अन्य जिनको प्रमाण पत्र, पेशवा सम्बन्धी दस्तावेज, लेखे पहचान पत्र काई, स्वतंत्रता संग्राम सेनाने पहचान पत्र, शरत नाइसेस, शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा कोई कामगारों को जारी पहचान पत्र, राष्ट्रीय प्रामाण्य योजना गारण्टी योजना के अर्जन जारी काईसे, महाराजा फोटो पहचान पत्र, यदि कोई हो।
- जन्मतिथि के प्रमाण के लिए-यदि फोटोग्राफ के सत्यापन हेतु दाखिल किये गये अभिलेख में जन्म तिथि नहीं दर्शायी गयी है, तो नगरीय स्थानीय निकाय या जिले के जन्म मूल रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, संलग्न किया जाय।

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

फोटोग्राफ संलग्नित:	हां/नहीं	नर्दीनम के लिए अनुमति/नहीं	कृपया गद्य रूप हो तो तारी जाते में टिक करें
निर्वाचक संख्या	अंशिक के	निर्वाचक/अंशिक/संख्या/विवरण	जहाँ टिकें- <input type="checkbox"/> जहाँ नो टिकें- <input type="checkbox"/>
प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर	के हस्ताक्षर		यदि नो टिकें- <input type="checkbox"/> जहाँ नो टिकें- <input type="checkbox"/>
			महाराजा फोटो पहचान पत्र जारी करने की तिथि: / /

नोट: ** पहले से मुद्रित डाटाबेस से (उन दो भागों में से जिसमें से एक भाग में महाराजा फोटो पहचान पत्र मुद्रित हो)